



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2024 / 27 मार्गशीर्ष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

**ELECTION DEPARTMENT**

Block No. 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

NOTIFICATION

*Dated, 17th December, 2024*

**No. 5-18/2007-ELN.**—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order promotion of Sh. Upender Nath Shukla,  
201—राजपत्र / 2024—18—12—2024 (9817)

Tehsildar (Election), Class-I (Gazetted), District Election Office, Hamirpur to the post of Electoral Officer, Class-I (Gazetted) in the pay matrix level-17 (pre revised pay scale of ₹10300-34800+5400/- Grade Pay) + ₹ 2000/- Secretariat Pay in the Election Department, against vacancy, with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order posting of aforesaid officer as Electoral Officer, Class-I (Gazetted) in the Election Department Headquarters, Shimla against vacancy.

The aforesaid officer will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of joining as Electoral Officer.

By order,

*Chief Electoral Officer-cum-  
Secretary (Election),  
Govt. of Himachal Pradesh.*

## AGRICULTURE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171 002 the 05th December, 2024*

**No. AGR.-B0F/11/2024.**—In supersession of all previous notifications issued regarding of State Level Sanctioning Committee (SLSC) under Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the above Committee under PM-RKVY as under:—

Chief Secretary to the Govt. of H.P.	<i>Chairman</i>
ACS/Pr. Secretary/Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P.	<i>Vice-Chairman</i>
ACS/Pr. Secretary/Secretary (Finance/ Planning) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
ACS/Pr. Secretary/Secretary (Environment, Science & Technology) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
ACS/Pr. Secretary/Secretary (Forests) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
ACS/Pr. Secretary/Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
ACS/Pr. Secretary/Secretary (Rural Development) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
ACS/Pr. Secretary/Secretary (Jal Shakti) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
Director of Horticulture, H.P. Shimla-2	<i>Member</i>
Representative of State Agriculture University	<i>Member</i>
Representative of NITI Aayog	<i>Member</i>
Director of Agriculture, H.P. Shimla-5	<i>Member-Secretary</i>

**Note.**—SLSC may co-opt two more members from reputed NGOs working in the field of Agriculture, Deputy Commissioners of important districts, and leading farmers.

**Roles and Responsibilities of SLSC**

- To prepare and submit proposals to GoI as per approved guidelines and cost norms of the respective schemes up to a maximum of 125% of the amount allocated to the State under PM-RKVY in the prescribed format.
- In case of projects having implementation period spanning more than one financial year, year-wise phasing of expenditure alongwith targets/milestones shall be specifically mentioned in the minutes of the SLSC meetings.
- To implement the sanctioned projects under PMRKVY as per the guidelines.
- To ensure that all extant procedures and instructions of the GoI are followed so that the expenditure incurred on implementation of the projects is the barest minimum with due concern for economy in expenditure and also in conformity with the canons of financial propriety, transparency and probity.
- To ensure that adequate coverage of small and marginal farmers, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Patta holders under FRA act, women and other weaker segments of society is to be given while selecting beneficiaries under any components of RKVY so that the benefits of implementation of a particular component of the scheme is received by the intended beneficiaries in accordance with guidelines and policies of the Government.

SLSC should meet twice a year or as and when required to review the implementation of the scheme.

By order,

*Secretary (Agriculture).*

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 दिसम्बर, 2024

**संख्या: आईपीएच(ए)3(1)-2/2017.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या आईपीएच(ए)3(1)-2/2017 तारीख 12-10-2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) वर्ग-III, अराजपत्रित तकनीकी सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) वर्ग-III, अराजपत्रित तकनीकी सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।
	(2)	ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन:		हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) वर्ग-III, अराजपत्रित तकनीकी सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध—"क" में:—
		स्तम्भ संख्या 03 के समक्ष विद्यमान उपाबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
		<b>"ग्रुप-बी"</b>

आदेश,

ओंकार चन्द शर्मा,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. IPH(A)3(1)-2/2017, dated 13-12-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

### JAL SHAKTI VIBHAG

#### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 13th December, 2024*

**No. IPH(A)3(1)-2/2017.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Irrigation and Public Health, Junior Engineer (Civil), Class-III (Non-Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2017, notified *vide* this Department Notification No. IPH(A)3(1)-2/2017, dated 12-10-2017, namely:—

<b>1. Short title and commencement:</b>	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health Department, Junior Engineer (Civil), Class-III (Non-Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2024.
	(2)	These rules shall come into force from the date of the publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
<b>2. Amendment of Annexure-"A":</b>		In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health, Junior Engineer (Civil), Class-III (Non Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2017:—

		For the existing provisions against Column No. 03, the following shall be substituted, namely:—
		<b>“Group-B”</b>

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,  
*Addl. Chief Secretary (Jal Shakti).***HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

## NOTIFICATION

*Shimla, the 11th November, 2024*

**No. HHC/Admn.3(331)/92-II.**—11 days earned leave on and *w.e.f.* 20-11-2024 to 30-11-2024 with permission to suffix Sunday falling on 01-12-2024 is hereby sanctioned in favour of Shri Davinder Chopra, Registrar (Accounts) of this Registry.

Certified that Shri Davinder Chopra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Davinder Chopra would have continued to officiate the same post of Registrar (Accounts) but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.***HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

## NOTIFICATION

*Shimla, the 8th November, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-349/2014.**—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave *w.e.f.* 11-11-2024 to 16.11.2024 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 09-11-2024 to 10-11-24 and suffix Sunday falling on 17-11-24 in favour of Shri Vikas Bhardwaj, Registrar(Vigilance), High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Shri Vikas Bhardwaj is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vikas Bhardwaj would have continued to hold the post of Registrar(Vigilance), High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 8th November, 2024*

**No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.**—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC(I), Dharamshala, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Shweta Narula, Civil Judge-cum-JMFC(I), Dharamshala, H.P. *w.e.f.* 11-11-2024 to 14-11-2024 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 09-11-2024 to 10-11-2024 till she returns from leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 12th November, 2024*

**No. HHC/Estt.3(589)/2007.**—07 days earned leave *w.e.f.* 25-09-2024 to 01-10-2024 (for extended period) with permission to suffix Gazetted holiday on 02-10-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Ramesh Chand Binta, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Ramesh Chand Binta has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ramesh Chand Binta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 12th November, 2024*

**No. HHC/Estt.3(700)/2009.**—01 day's commuted leave for 03-10-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Yugal Kishore, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Yugal Kishore has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Yugal Kishore would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 12th November, 2024*

**No. HHC/Estt.3(510)/2000-1.**—02 days earned leave for 30-09-2024 and 01-10-2024 with permission to suffix Gazetted holiday on 02-10-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Tarun Mahajan, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Tarun Mahajan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tarun Mahajan would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

CORRIGENDUM

*Shimla, the 12th November, 2024*

**No. HHC/Admn.6 (20)/77-XXI.**—*Vide* Registry Notification No. HHC/Admn.6(20)/7-XXI-33386- 412, dated 04/05-11-2024, the information regarding the annual vacations for the Civil Courts in Himachal Pradesh had been notified as under:

Civil Courts in Winter Zone, comprising of Districts Shimla, Mandi, Bilaspur, Solan, (Except the Courts of Additional District & Sessions Judge/Senior Civil Judge/Civil Judge, Nalagarh), Kinnaur, Kangra, (Except the Courts of Senior Civil Judges/Civil Judges, Nurpur, Indora and Dehra), Lahaul and Spiti, Chamba, Sirmaur, (Except the Courts of Senior Civil Judge / Civil Judge, Paonta Sahib) and Kullu will observe the annual vacation from **20-01-2025 to 16-02-2025**.

Civil Courts in Summer Zone comprising of Districts Una, Hamirpur and the Courts of Additional District & Sessions Judge/Senior Civil Judge/Civil Judge, Nalagarh in Solan District, Courts of Senior Civil Judges/Civil Judges, Nurpur, Indora and Dehra in Kangra District and Paonta Sahib in Sirmaur District will observe the annual vacation from **30-06-2025 to 27-07-2025**.

Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the Vacations /Holidays.

In the said Notification the words read in the third & fourth line of first paragraph *i.e.* **"(Except, the Courts of Senior Civil Judges/Civil Judges, Nurpur, Indora and Dehra)"** and the words read in the third & fourth line of second paragraph *i.e.* **"Courts of Senior Civil Judges/Civil Judges, Nurpur, Indora and Dehra in Kangra District"**, shall stand deleted.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 12th November, 2024*

**No. HHC/Admn.E.5(12)/2022-PS.**—In exercise of the powers vested in him under Rule 9 of the Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to promote/appoint **Sh. Sunder Lal Verma, Executive Assistant, o/o District and Sessions Judge Kullu, H.P.**, as Private Secretary (Selection Post) in the office of District and Sessions Judge Kullu, H.P., in the Pay Matrix Level 16 with effect from 01-01-2025.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 14th November, 2024*

**No. HHC/Estt.3(615)/2008.**—10 days earned leave on and *w.e.f.* 18-11-2024 to 27-11-2024 with permission to prefix Sunday falling on 17-11-2024 is hereby sanctioned in favour of Smt. Rajni, Secretary of this Registry.



Certified that Smt. Rajni is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Rajni would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 14th November, 2024*

**No. HHC/Estt.3(553)/2004-I.**—05 days commuted leave *w.e.f.* 17-10-2024 to 21-10-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Karan Singh Kanwar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Karan Singh Kanwar as joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Karan Singh Kanwar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 4 / तहसील रीडर / 2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्री लाल वाहदर पुत्र चेत राम, निवासी गांव व डा० वरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश  
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री लाल वादर पुत्र चेत राम, निवासी गांव व डा0 वरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 22-02-1980 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत वरौर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री लाल वादर पुत्र चेत राम, निवासी गांव व डा0 वरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 22-02-1980 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 01/तहसील रीडर/2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्री जैनम पुत्र ईसा, निवासी गांव सुगांह, डा0 पलुही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश  
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री जैनम पुत्र ईसा, निवासी गांव सुगांह, डा0 पलुही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1984 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलुही, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है श्री जैनम पुत्र ईसा, निवासी गांव सुगांह, डा0 पलुही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलुही, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 01-07-1984 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील रीडर/2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्रीमती लाम्बी पुत्री सुखीया, निवासी गांव गुवनी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश  
वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती लाम्बी पुत्री सुखीया, निवासी गांव गुवनी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 28-06-1968 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत वख्तपुर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है श्रीमती लाम्बी पुत्री सुखीया, निवासी गांव गुवनी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वख्तपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 28-06-1968 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 03/तहसील रीडर/2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री धर्म चन्द, निवासी गांव डीगर, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.- दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री धर्म चन्द, निवासी गांव डीगर, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 30-12-1981 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाट, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री धर्म चन्द, निवासी गांव डीगर, डा0 बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 30-12-1981 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 6/तहसील रीडर/2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्री परसो पुत्र बली वाहदुर, निवासी बेई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री परसो पुत्र इली वाहदुर, निवासी बेई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-09-1977 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री परसो पुत्र बली भहादुर, निवासी बेई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 05-09-1977 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 5 / तहसील रीडर / 2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्रीमती हसन वीवी पुत्री नजमा दीन, निवासी मरगढा, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती हसन वीवी पुत्री नजाम दीन, निवासी मरगढा, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है श्रीमती हसन वीवी पुत्री नजाम दीन, निवासी मरगढा, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत

9830

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2024 / 27 मार्गशीर्ष, 1946

सिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1970 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 7 / तहसील रीडर / 2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्रीमती वीना देवी पुत्री दालती राम, निवासी सगाहर, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.- दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पुत्री दालती राम, निवासी सगाही, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 29-05-1975 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है श्रीमती वीना देवी पुत्री दालती रात, निवासी सगाहर, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत औडा, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 29-05-1975 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : /तहसील रीडर/2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्री खादम हुसैन पुत्र नुर माही, निवासी डुग, डा0 पलुंह, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश  
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री खदम हुसैन पुत्र नुर माही, निवासी डुग, डा0 पलुंह, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1979 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलुंही, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री खदम हुसैन पुत्र नुर माही, निवासी डुग, डा0 पलुंह, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलुंही, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1979 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 9/तहसील रीडर/2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्रीमती गुडडो देवी पुत्री निधिया, निवासी गांव भडिया, डा0 भडिया, तहसील व जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश  
वादि्या।

बनाम

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती गुडडो देवी पुत्री निधिया, निवासी गांव भडिया, डा0 भडिया, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत भडिया, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है श्रीमती गुडडो देवी पुत्री निधिया, निवासी गांव भडिया, डा0 भडिया, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भडिया, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1965 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 2/तहसील रीडर/2024

तारीख पेशी : 07-01-2025

श्रीमती जीया सुर्यावंशी पुत्री विनोद कुमार, निवासी गांव तडाली, डा0 सरु, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— दरखास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती जीया सुर्यावंशी पुत्री विनोद कुमार, निवासी गांव तडाली, डा0 सरु, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी बेटी की जन्म तिथि 29-12-2007 है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरु, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।



अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जीया सुर्यावंशी, गांव तडाली, डा0 सरु, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरु, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 29-12-2007 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0  
47 / 24 / TEH

तारीख दायरा  
06-12-2024

तारीख पेशी  
23-12-2024

प्रार्थी संजीवन लाल पुत्र राम सरन, निवासी गांव व डा0 इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल वरसवालकड़, पटवार वृत्त गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जीवन लाल दर्ज है जोकि गलत है। जबकी अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम संजीवन लाल दर्ज है जो की सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम जीवन लाल की बजाए संजीवन लाल उर्फ जीवन लाल दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 23-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 127/NT/2024

तारीख पेशी : 27-12-2024

त्रिलोक चन्द पुत्र मखोली राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

त्रिलोक चन्द पुत्र मखोली राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के पुत्र अदित्या का जन्म गांव पन्तेहड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 13-08-2013 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के पुत्र अदित्या के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 126/NT/2024

तारीख पेशी : 27-12-2024

त्रिलोक चन्द पुत्र मखोली राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

त्रिलोक चन्द पुत्र मखोली राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की पुत्री रिया का जन्म गांव पन्तेहड, तहसील

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 25-04-2007 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री रिया के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 125 / NT / 2024

तारीख पेशी : 27-12-2024

त्रिलोक चन्द पुत्र मखोली राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

त्रिलोक चन्द पुत्र मखोली राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की पुत्री पल्लवी का जन्म गांव पन्तेहड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 05-03-2008 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री पल्लवी के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

## ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मु0 नं0 : 72/20

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 30-12-2024

1. देश राज पुत्र करतार सिंह, रुपिन्द्र सिंह, नरदीप सिंह पुत्रान करतार सिंह, वासी महाल नन्दपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

## बनाम

1. जोगिन्द्र सिंह, 2. विजय कुमार, 3. विपन कुमार, 4. विनय कुमार पुत्रान, 5. सरिता, 6. शारदा देवी, 7. सरिता देवी पुत्रियां साहब सिंह, 8. चम्पा, 9. वीना देवी, 10. नीलम, 11. सुरजीत कौर पुत्रियां करतार सिंह, 12. राजीव सिंह, 13. संजीव सिंह पुत्रान, 14. निशा रानी, 15. अनुराधा पुत्रियां, 16. सत्या देवी विधवा वामन सिंह, 17. विमला देवी, 18. वशम्बरी देवी पुत्रियां करतारी देवी, 19. ऋषि कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह, 20. रीना देवी पत्नी रुपिन्द्र सिंह, वासीगण महाल नन्दपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रत्यार्थीगण।

विषय.—भूमि तकसीम खाता नं0 149, खतौनी 324 ता 327, खसरा कित्ता 17, रकबा 02-23-30 हैक्टियर स्थित महाल नन्दपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबंदी 2000-01.

समन बनाम :

प्रत्यार्थी नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण के समन की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि प्रत्यार्थी नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 को बजरिया इश्तहार तलब किया जाए। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रत्यार्थी नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वे इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 30-12-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हों, गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विजय सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मकफूद—उल—खबरी

तारीख पेशी : 08-01-2025

श्री रामकृष्ण पुत्र शंकर, निवासी भाटी लौहार पंगा, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. श्री लेख राम पुत्र शंकर, निवासी भाटी लौहार पंगा, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
2. आम जनता प्रतिवादीगण।

विषय.—इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी मकफूद—उल—खबरी।

इस इश्तहार से आम जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्री रामकृष्ण पुत्र शंकर, निवासी भाटी लौहार पंगा, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र वमय ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित पेश करते हुए अनुरोध किया कि उसका भाई श्री लेख राम पुत्र शंकर पुत्र झौंफी, निवासी भाटी लौहार पंगा, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) दिनांक 04-11-2002 से लापता है तथा इस सन्दर्भ में तत्कालीन थाना लम्वागाँव में प्रथम सूचना विवरण भी दर्ज करवाया था जो समयावधि अधिक लम्बी हो जाने के कारण थाना लम्वागाँव से उपलब्ध नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में रामकृष्ण ने वर्तमान थाना भवारना व पुलिस चौकी थुरल में पुनः अपने भाई लेखराम के लापता होने की इतलाह क्रमशः रोजनामचा संख्या 23 दिनांक 18-01-2024 व 13 दिनांक 19-10-2024 के अन्तर्गत भी दर्ज करवाई है। श्री लेख राम लापता होने के बाद कभी भी गांव में नहीं आया और न ही इस बीच उसे कभी भी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया है और न ही किसी रिश्तेदार से सम्पर्क करना पाया गया है। श्री लेखराम जब गुमशुदा हुये तब वह अविवाहित थे। इस सन्दर्भ में पटवार वृत्त मूण्ठी व साई ने पूरी छानबीन व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त श्री लेखराम की वरास्त के इन्तकालात मकफूद—उल—खबरी इन्तकाल नं0 422, महाल भाटी लौहार पंगा, इन्तकाल नं0 742 महाल भ्रान्ता, इन्तकाल नं0 355 महाल साई—दा—लाहड व इन्तकाल नं0 191 महाल कंडी का इन्तकाल उसके जायज वारसान रामकृष्ण पुत्र व श्रीमती विद्या देवी, श्रीमती पवना देवी, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती लता देवी, श्रीमती सरोज पुत्री शंकर पुत्र झौंफी समभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करके पीठासीन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर रखा है।

उक्तवर्णित इन्तकाल पर किसी भी प्रकार की कार्यावाही करने से पूर्व उपरोक्त प्रतिवादी आम जनता, सगे—सम्बन्धी या किसी भी हितबद्ध संस्था को इस इश्तहार अखबारी, राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री—मुनादी चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था/विभाग को उक्त ईतकालात को लेख राम गुमशुदाअश के जायज वारसानों रामकृष्ण पुत्र व श्रीमती विद्या देवी, श्रीमती पवना देवी, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती लता देवी, श्रीमती सरोज पुत्री शंकर पुत्र झौंफी समभाग के नाम तस्दीक करने बारे किसी किस्म का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08-01-2025 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा दिनांक 08-01-2025 को किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर या एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करते हुए लेखराम गुमशुदा के सन्दर्भ में दर्ज मकफूद—उल—खबरी ईतकाल नं0 422 महाल भाटी लोहार पंगा, इन्तकाल नं0 742 महाल भ्रान्ता, इंतकाल नं0 355 महाल साई—दा—लाहड व ईतकाल नं0 191 महाल कंडी को उसके ऊपरवर्णित जायज वारसान के नाम हिस्सानुसार तस्दीक कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-11-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 17-01-2025

रचना देवी पुत्री श्री टिटलू राम, निवासी महाल पण्तेहड, डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करके रंजना देवी पुत्री श्री टिटलू पुत्र लाभा के बजाए रचना देवी पुत्री श्री टिटलू पुत्र लाभा दर्ज करने बारे।

रचना देवी पुत्री श्री टिटलू राम, निवासी महाल पण्तेहड, डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पंतेहड, पटवार वृत्त धानग, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम रंजना देवी पुत्री श्री टिटलू पुत्र लाभा है। जबकि प्रार्थिया का असल नाम रचना देवी पुत्री श्री टिटलू पुत्र लाभा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रचना देवी पुत्री श्री टिटलू पुत्र लाभा किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 17-01-2025

चित्रसेन ठाकुर पुत्र श्री संगत राम, निवासी गांव व डा0 बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके चित्रसेन पुत्र श्री संगत राम पुत्र श्री गुरडागी के बजाए चित्रसेन ठाकुर पुत्र श्री संगत राम पुत्र श्री गुरडागी दर्ज करने बारे।

चित्रसेन ठाकुर पुत्र श्री संगत राम, निवासी गांव व डा0 बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल बीड खास, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम चित्रसेन पुत्र श्री संगत राम पुत्र श्री गुरडागी है। जबकि प्रार्थी का असल नाम चित्रसेन ठाकुर पुत्र श्री संगत राम पुत्र श्री गुरडागी है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके चित्रसेन ठाकुर पुत्र श्री संगत राम पुत्र श्री गुरडागी किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मीरा देवी पुत्री श्री झोफी राम, निवासी गांव पण्तेहड, डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मीरा देवी पुत्री श्री झोफी राम, निवासी गांव पण्तेहड, डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 05-02-1970 को गांव पण्तेहड, डा0 घिरथौली में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 30-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : 71/2024

आगामी पेशी : 23-12-2024

श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री भाग चन्द, निवासी मैल, डा0 मझान, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)  
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री भाग चन्द, निवासी गांव मैल, डा0 मझान, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री निमु देवी की जन्म तिथि 11-12-2008 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गाड़ापारली के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी पुत्री निमु देवी की जन्म तिथि 11-12-2008 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी पुत्री निमु देवी की जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की पुत्री निमु देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 23-12-2024 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गाड़ापारली, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की पुत्री निमु देवी की जन्म तिथि 11-12-2008 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 73/2024

आगामी पेशी : 26-12-2024

श्रीमती पार्वती पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव पातल, डा0 कनौन, तहसील सैंज हाल पत्नी नोक सिंह, निवासी गांव पढरनी, डा0 चकुरठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती पार्वती पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव पातल, डा0 कनौन, तहसील सैंज हाल पत्नी नोक सिंह, निवासी गांव पढरनी, डा0 चकुरठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1980 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कनौन के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01-01-1980 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनौन के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई



उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 26-12-2024 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कनौन, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1980 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 27-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : 72/2024

आगामी पेशी : 26-12-2024

श्रीमती दुर्गा देवी पुत्री श्री निका राम, निवासी सपांगणी, तहसील सैन्ज हाल पत्नी केहर सिंह, निवासी सारी, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती दुर्गा देवी पुत्री श्री निका राम, निवासी गांव सपांगणी, तहसील सैन्ज हाल पत्नी केहर सिंह, निवासी सारी, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 16-05-1968 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कनौन के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 16-05-1968 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनौन के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 26-12-2024 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कनौन, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 16-05-1968 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

श्री पैतृक बैनन पुत्र हेलोर्ड बैनन, निवासी गांव व डा0 सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री पैतृक बैनन पुत्र हेलोर्ड बैनन, निवासी गांव व डा0 सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र, मय शपथ—पत्र गुजारा है कि मेरी माता की मृत्यु दिनांक 21—11—1989 को हुई है। परन्तु नगर परिषद मनाली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर परिषद मनाली व क्षेत्रीय अभीकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि स्व0 श्रीमती रेनू बैनन पत्नी श्री हेलोर्ड बैनन की मृत्यु तिथि 21—11—1989 है, तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को स्व0 श्रीमती रेनू बैनन पत्नी श्री हेलोर्ड बैनन की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 15—01—2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार नगर परिषद के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27—11—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

श्रीमती सरला देवी पुत्री परम देव, निवासी गांव कुम्हारडा, डा0 पद्वाहन, तहसील पधर, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरला देवी पुत्री परम देव, निवासी गांव कुम्हारडा, डा0 पद्वाहन, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती सरला देवी का जन्म दिनांक 01—07—1966 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, गांव पंचायत कुफरी को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक .....2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-----  
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्री सूरत राम पुत्र लेख राम, निवासी गांव लखवान, डा0 झटिगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सूरत राम पुत्र लेख राम, निवासी गांव लखवान, डा0 झटिगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थी सूरत राम का जन्म दिनांक 12-07-1963 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, गांव पंचायत उरला को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक .....2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-----  
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती नर्वदा देवी पुत्री प्रेम सिंह, निवासी गांव नारला, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नर्वदा देवी पुत्री प्रेम सिंह, निवासी गांव नारला, डा0 कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती नर्वदा देवी का जन्म दिनांक 27-05-1966 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, गांव पंचायत पाली को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक .....2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती कलासी देवी पुत्री अच्छर सिंह, निवासी गांव सरी, डा0 गुम्मा, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कलासी देवी पुत्री अच्छर सिंह, निवासी गांव सरी, डा0 गुम्मा, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती कलासी देवी का जन्म दिनांक 01-07-1963 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, गांव पंचायत उरला को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक .....2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 180 / 2024

तारीख मरजुआ : 03-12-2024

तारीख पेशी : 30-12-2024

श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री धोबू पुत्र दयालू, निवासी मोहाल छुहाड़ खुर्द, डा0 गंगोटी, तहसील लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री धोबू पुत्र दयालू, निवासी मोहाल छुहाड़ खुर्द, डा0 गंगोटी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 28-11-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बहादुर सिंह है, जोकि प्रार्थी के आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र व सर्विस रिकार्ड में भी दर्ज है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल छुहाड़, पटवार वृत्त गंगोटी में भादर सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, स्व-घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड PPO की प्रति संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल छुहाड़, पटवार वृत्त गंगोटी में प्रार्थी का नाम भादर सिंह के स्थान पर भादर सिंह उपनाम बहादुर सिंह पुत्र श्री धोबू पुत्र दयालू, निवासी मोहाल छुहाड़ खुर्द, पटवार वृत्त गंगोटी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-12-2024 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 181 / 2024

तारीख मरजुआ : 03-12-2024

तारीख पेशी : 30-12-2024

श्री शूकेरू राम पुत्र पीरू पुत्र मटू, निवासी मोहाल रकतल, डा0 तुलाह, तहसील लडभडोल, जिला  
मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री शूकेरू राम पुत्र पीरू पुत्र मटू, निवासी मोहाल रकतल, डा0 तुलाह, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 28-11-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम शूकेरू राम है, जोकि प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व सर्विस रिकार्ड में भी दर्ज है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल रकतल में शुकरू राम दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, स्व-घोषणा पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड की प्रति संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल रकतल में प्रार्थी का नाम शुकरू राम के स्थान पर शुकरू राम उपनाम शूकेरू राम पुत्र पीरू पुत्र मटू, निवासी मोहाल रकतल, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-12-2024 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बलद्वारा, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

पंकज कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र रूप लाल, निवासी मुहाल मोरसिंधी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

बनाम

1. राज कुमार पुत्र रूप लाल, निवासी मुहाल घोडी, तहसील बलद्वारा, जिला मण्डी, हि0 प्र0,  
2. श्रीमती वीना देवी पत्नी राज कुमार पुत्र रूप लाल, निवासी घोडी, तहसील बलद्वारा, जिला मण्डी, 3.  
श्रीमती पूजा देवी, प्रिती देवी, पुत्रियां राज कुमार पुत्र रूप लाल, निवासी गांव घोडी, तहसील बलद्वारा  
प्रतिवादीगण।

अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में महाल घोडी/557 का इन्तकाल नं0 341, बरास्त व मुहाल रैहडी/558 का इन्तकाल नं0 361 बरास्त, बरूये पंजीकृत बसीयत नं0 112/2021 दिनांक पंजीकरण 20-07-2021 उप-पंजीकाध्यक्ष, तहसील बलद्वारा बराये फैसले हेतु विचाराधीन है तथा उपरोक्त प्रतिवादीगण के बारे में तथा उनके सही पते का वादी के अनुसार कोई ज्ञान उसको नहीं है तथा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सामान्य तरीके से इत्लाह नहीं हो पा रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण व सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इन्तकाल नं0 341, मुहाल-घोडी व इन्तकाल नं0 361, बरास्त महाल रैहडी बरूये पंजीकृत वसीयत के अनुसार तस्दीक होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2024 को स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति

के द्वारा तहसील कार्यालय बलदाड़ा में एतराज प्रस्तुत कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री लोट राम हाल निवासी, पत्नी श्री जगत राम, निवासी गांव झिड़ी, डा0 नगवाई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) पिन नं0 175 121 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री लोट राम हाल निवासी, पत्नी श्री जगत राम, निवासी गांव झिड़ी, डा0 नगवाई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 21-10-1976 को निवासी गांव ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-01-2025 को मकरर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री सतार अहमद पुत्र श्री शौकत अली, निवासी गांव डिनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र सचिव, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री सतार अहमद पुत्र श्री शौकत अली, निवासी गांव डिनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-02-1977 को निवासी गांव ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-01-2025 को मुकरर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असागतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकदमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 07-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री नवीन गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी हाऊस नं0 1/26 शक्तिनगर, दा माल होशियारपुर, पंजाब हाल निवासी बी.बी.एम.बी. कलौनी, एस-3/332, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री नवीन गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी हाऊस नं0 1/26 शक्तिनगर, दा माल होशियारपुर, पंजाब हाल निवासी बी.बी.एम.बी. कलौनी, एस-3/332, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 11-02-1979 को निवासी बी.बी.एम.बी. कलौनी, एस-3/332, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु बी.बी.एम.बी. कलौनी, एस-3/332, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि बी.बी.एम.बी. कलौनी, एस-3/332, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।



अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-01-2025 को मुकरर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 07-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती सरला पुत्री स्व0 श्री चिन्त राम, निवासी गांव भौर, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र सचिव, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सरला पुत्री स्व0 श्री चिन्त राम, निवासी गांव भौर, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1966 को निवासी गांव भौर, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-01-2025 को मुकरर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्रीमती बलवन्त कौर पुत्री श्री अजीत सिंह, निवासी मोहल्ला हरिपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती बलवन्त कौर पुत्री श्री अजीत सिंह, निवासी मोहल्ला हरिपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-02-1982 ( पुत्री श्री अजीत सिंह एवं श्रीमती गुरचरन कौर) है, जोकि नगरपालिका परिषद नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 20-12-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती बलवन्त कौर पुत्री श्री अजीत सिंह, निवासी मोहल्ला हरिपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-02-1982 नगरपालिका परिषद नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 26-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),  
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 : /2024

दायर तिथि : 27-11-2024

श्री हरी चन्द पुत्र श्री दिलू राम, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री हरी चन्द पुत्र श्री दिलू राम, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र

एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-7189, दिनांक 18-10-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 10-03-1966 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कुन्डियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री हरी चन्द पुत्र श्री दिलू राम, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं० : /2024

दायर तिथि : 03-12-2024

श्रीमती आबिदा बेगम पुत्री सैद मोहम्मद, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती आबिदा बेगम पुत्री सैद मोहम्मद, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-7897, दिनांक 07-11-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-01-1971 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अमरकोट के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती आबिदा बेगम पुत्री सैद

मोहम्मद, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

### CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar (53), Village Tang, P.O. Balota, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that father's name of my daughter Arshia Sood, has been wrongly recorded as Sanjay Sood in School record, at the time of admission, the correct father's name of my daughter is Sanjay Kumar.

SANJAY KUMAR  
Village Tang, P.O. Balota,  
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Nank Chand s/o Ganga Ram, r/o Village Dhunj, P.O. Gumma, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.) declared that my son Gourav matriculation certificate my name wrongly entered as Nanak Chand. My original name is Nank Chand. Concerned note.

NANK CHAND  
s/o Ganga Ram, r/o Village Dhunj, P.O. Gumma,  
Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Laja Devi w/o Sunder Singh, r/o Village Dhangwala, P.O. Kaulanwala Bhood, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173026 have changed my name to Lajjya Devi.

LAJA DEVI  
w/o Sunder Singh,  
r/o Village Dhangwala, P.O. Kaulanwala Bhood,  
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Shekhar Sharma s/o Sh. Pritam Chand Sharma, r/o VPO Dharamsal Mahantan Khas, Sub-Tehsil Bharwain, Tehsil Amb, District Una (H.P.) declare that my daughter's name in her Aadhar Card have wrongly entered as Aditi Sharma whereas her correct name is Urvashi. Concerned note.

SHEKHAR SHARMA  
*s/o Sh. Pritam Chand Sharma,  
r/o VPO Dharamsal Mahantan Khas,  
Sub-Tehsil Bharwain, Tehsil Amb, District Una (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Savita Devi w/o Shri Sher Singh, r/o Village Gajeri, P.O. Jais, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) swear and verify that my name has been wrongly recorded as Sarita in my Aadhar Card. My name is recorded as Savita Devi in all my other official documents like Panchayat register etc. which is correct. The name Sarita recorded in the Aadhar Card and the name Savita Devi recorded in other documents are the names of the same person. I want to get my name corrected as Savita Devi as per Panchayat records.

SAVITA DEVI  
*w/o Shri Sher Singh,  
r/o Village Gajeri, P.O. Jais,  
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).*

